उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान प्रदान किए जाने हेतु सरकार द्वारा स्थापित मापदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा अनुदान का उचित उपयोगी और प्रतियोगी के समुचित प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) उन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सरकारी उपक्रमों आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते है। ये केन्द्र राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा चलाए जा सकते हैं। राज्य सरकारों के व्यय के बचनबद्ध स्तर के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50:50 के समान आधार पर सहायता दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों तथा निजी संस्थानों के मामले में 100% अनुदान दिया जाता है।

(ख) सूचना अनुबन्ध "क" में दी गई है। **[देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 38]**

(ग) परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्ताव के साथ संबंधित वर्ष के लिए लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के पास पड़ी उपयोग न की गई शेष धनराशि, यदि कोई हो, तो अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि से समायोजित की जाती है।

परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्रों से नए अनुदान प्रस्तावों के प्राप्त होने पर कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके पूर्वनिष्पादन तथा निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा की जाती है।

Financial assistance to Voluntary Organisations in Gujarat

1385. **SHRIMATI ANADIBEN JETHABHAI PATEL:**
SHRI BRAHMUKUMAR BHATT:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether financial assistance has been provided to voluntary organisations in Gujarat during the last three years;

(b) if so, the details of assistance given and the organisations benefited thereby;

(c) whether it is a fact that these organisations have not submitted their accounts and reports regularly to Government; and

(d) if so, the details of such organisations?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) The details of grant in aid released to the voluntary organisations in Gujarat during the last three years are at Annexure. *[See* Appendix 181, Annexure No. 39]

(c) No grant in aid is released to any voluntary organisation for subsequent year until and unless audited statement of accounts and performance report for previous year is received.

(d) In view of (c) above, question does not arise.

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल जातियां

1386. **श्री राघवजी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी जातियां हैं जो राज्य के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हैं और कुछ क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं;

(ख) उसके कारण क्या है;

(ग) क्या यह मांग सरकार के समक्ष आई है कि इन जातियों को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) समुदायों का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप निर्धारण प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। चूंकि एक राज्य में ऐतिहासिक कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रासंगिक विशेषताएं भिन्न हो सकती हैं इसीलिए किसी एक राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में किसी खास समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो माना जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन दावों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में व्यापक संशोधन के दौरान ऐसे अन्य मामलों के साथ जांच की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में जहां क्षेत्र प्रतिबंध हैं से संबंधित अनुसूचित जाति तथा आदिवासियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क. अनुसूचित जाति

1. धोबी (भोपाल रायसैन और सिहोर जिलों में)
2. कोतवाल (भिंड, धाड, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खारगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
3. कुम्हार (छत्तरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सहदौल, सिधि और पीतमगढ़ जिलों में) ,
4. पाधी (भिंड, धाड, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौर, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, साजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)

ख. अनुसूचित जनजाति

1. कौर (भोपाल, रायसैन और सिहोर जिलों में)
2. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज उप-मंडल में)
3. पानिका (छत्तरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, सहडौल, सिधि और टीकमगढ़ जिलों में)
4. परधी (भोपाल, रायसैन और सिहोर जिलों में)
5. पारधीः (बेहेलिया, बहेलिया, चिता पारधि, लंगोली पारधी, फान्स पारधी, शिकारी, टाकांकर, तकिया) (1) बस्तर, छिदवाड़ा, मांडा, राजगढ़, सियौनी, और सुरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिला में बेइहर तहसील (3) बैतुल जिला के बैतुल और भैसदेही तहसील, (4) विलासपुर जिला के विलासपुर और कटघोरे तहसील, (5) दुर्ग जिला के दुर्ग और बालौड तहसील (6) राजनन्दगांव जिला के चौकी, पानपुर और मुहाला के राजस्व निरीक्षक क्षेत्र, (7) जबलपुर जिला के मुडवारा, पाटन और सिहौरा तहसील, (8) होशंगाबाद जिला और नरसिम्हपुर जिला के होशंगाबाद और सुहागपुर तहसील, (9) खण्डवा जिला के हरसूद तहसील, 10) रायपुर जिला का विन्द्रानावागढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसील)

Assistance by NSFDC for setting up own business, trade etc.

1387. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the details of the assistance being provided to SC/ST beneficiaries for setting up of their own business, trade, profession and other business by National SCs/STs Finance and Development Corporation in the country, State-wise;

(b) whether it is a fact that NSFDC is not functioning properly and has failed to protect the interest of the SCs/STs in the country;

(c) the reasons therefor; and

(d) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) NSFDC renders financial assistance for establishing self employment activities to SC/ST beneficiaries whose family income is below double the poverty line criteria i.e. Rs. 22,000/- for rural areas and Rs. 23,700/- for urban areas. Projects costing upto Rs. 30 lacs are considered for which 85% is given as Term loan